

प्रारूप-21ग

नियम 64 देखिये

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

37-पौड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री राजकुमार पोरी , पावर हाउस मोहल्ला वार्ड न0 07 तहसील एवं जिला पौड़ी गढ़वाल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-रा0इ0का0 पौड़ी

तारीख- 10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग ऑफिसर



Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **37-Pauri (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Rajkumar Pori

power house mohalla 'ward no-7 tehsil & district pauri garhwal [sponsored by Bharatiya Janata Party] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Pauri*

Date : 10-03-2022

(Shri Akash Joshi)
Returning Officer
37-Pauri(SC)
Legislative Assembly Constituency

